न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गंगापुर जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी–विकास पंचोली (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :–02/2018 (2018/00188) दर्ज दिनांक 05.01.2018

प्रा.प. अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट

शीर्षक

अकबर मोहम्मद पिता बदू पीनारा निवासी गंगापुर तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा मृतक के बजाए:–

1. आबिद हुसैन पिता अकबर मोहम्मद
2. आजाद हुसैन पिता अकबर मोहम्मद
3. शौकत अली पिता अकबर मोहम्मद

सर्व निवासी गंगापुर जिला भीलवाड़ा (राज0)

–प्रार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सहाड़ा मु. गंगापुर ,जिला–भीलवाड़ा।

–विपक्षी

वकिल प्रार्थी:–श्री हरीश चन्द्र टेलर
विपक्षी:– पेरोकार सरकार

<u>प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम</u>

निर्णय

दिनांक 29.06.2021

प्रार्थी ने प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट विपक्षी के विरूद्ध इस आशय का प्रस्तुत किया कि प्रार्थी के खातेदारी अधिकार एवं आधिपत्य की पुराने आराजी नं0 31/2 रकबा 10 बीघा वाके ग्राम दियास जो कि भू–प्रबंध के पूर्व की जमाबंदी संवत् 2043 से 2046 में गेर खातेदारी हक से मुझ प्रार्थी के नाम दर्ज रेकार्ड थी। और इस आधार पर मेरे द्वारा सहकारी भूमि विकास बैंक भीलवाड़ा से ऋण भी प्राप्त किया। जिसका इन्द्राज भी इस जमाबंदी में लगा हुआ है। प्रमाण में जमाबंदी प्रस्तुत हैं।

यह कि भू–प्रबंध के दौरान मेरे खातेदा[illegible] 31/2 रकबा 10 बीघा के नये नम्बर मौके पर पुराने नक्शे के मुकाबले में [illegible] के आधार पर कायम नहीं किये गये। और मेरे नाम का खाता ही बिना किसी [illegible] दिया गया। और पास में लगी हुई भूमियों के नम्बर परिवर्तित [illegible] कर दिये गये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.07.27 15:41:55 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर मजि.
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाड़ा

Scanned with CamScanner

प्रकरण संख्या :–02/2018 (2018/00188)
प्रा.प. अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट

किस आधार पर मेरे पुराने जमाबंदी में मरे खाते के आधार पर नया खाता क्यों नहीं कायम किया गया। यह जांच का विषय है और इस संबंध में पुरानी जमाबंदी में अंकित मेरे खातेदारी की उक्त भूमि जंहा पर पुराने नक्शे में प्रदर्शित की हुई हैं उसका सीमांकन विपक्षी द्वारा कराया जाकर उसी अनुसार नवीन नम्बर कायम कराया जाकर नये नक्शे में फीट कराया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित है। पुरे खसरा मिलान में कंही भी मेरे पुराने आराजी नं0 31/2 रकबा 10 बीघा के परिवर्तीत नंबर अंकित नहीं किये गये है। और जो जमाबंदी के बाद का नया नक्शा बनाया गया है उस में मेरी भूमि के स्थान पर अन्य नम्बरों का अंकन या तो रकबा बढ़ा कर कर दिया गया हैं या रकबा यथावत अन्य भूमियों का रखने के बावजूद मेरी भूमियों के नंबर ही कायम नहीं किये गये है। जो भू प्रबंध अधिकारियों की भूल मात्र हैं जिससे विपक्षी द्वारा पुराने जमाबंदी एवं पुराने नक्शे के मुकाबले मेरी भूमियों का सीमांकन करा मौजूदा नये नक्शे मे दर्ज नंबरों में जंहा भी मेरी भूमि स्थित होना पाया जावें उस मेरी भूमि के नम्बर पृथक से नये नक्शे में तरमीम कराया जाकर फीट कराया जाकर आवश्यक एवं न्यायोचित है। और इसी अनुसार नया खाता मेरे नाम पृथक से दर्ज किया जाकर राजस्व रेकार्ड में अंकन करया जाना आवश्यक एवं न्योचित हैं। इस संबंध में पटवारी हल्का द्वारा भी अपनी रिपोर्ट में राजस्व अभियान केम्प डेलाना में यह रिपोर्ट प्रस्तुत की कि उक्त भूमि मेरे पुराने खाते में अभिलिखित हैं जिसका खाता संख्या 191 होकर भू – प्रबंध के बाद नवीन जमाबंदी में खाता कायम नहीं किया गया है। जिससे 136 एल0आर0एक्ट के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कराने की रिपोर्ट दी थी जिसकी फोटो प्रति साथ संलग्न की जा रही है। इसी के साथ पुरानी जमाबंदी की नकल व पुराना नक्शा ट्रेस तथा नया नक्शा ट्रेस एवं खसरा मिलान की नकले प्रस्तुत की जा रही है।

यह कि उक्त वर्णित आराजी मेरे खातेदारी हक से दर्ज चली आ रही थी और गत 20 साल से मैं काबिज होकर इस पर काश्त करता चला आ रहा हूँ। हजारों रूपया इस भूमि पर खर्च कर इसे काबिल काश्त बनाया व चाह का निर्माण किया तथा इस समय भी मैं निरन्तर काबिज होकर काश्त कर रहा हूँ। परन्तु रेकार्ड में मेरा खाता भू – प्रबंध के बाद का दर्ज नहीं होने से मुझे इस भूमि के स्वामित्व के संबंध में कठिनाई आ रही हैं। जिससे उक्त पुराने आराजी नं0 31/2 रकबा 10 बीघा पुराने नक्शे के आधार पर जंहा भी स्थित थी और उस स्थान पर इस समय भी पूरे 10 बीघा भूमि पर मेरा कब्जा है का सीमान्कन करा मेरे नाम पृथक खाता कायम किया जाकर नये नम्बर कायम करा नये नक्शे में फीट कराया जावे।

अतः सादर प्रार्थना हैं कि प्रार्थी के पुराने आराजी नं0 31/2 रकबा 10 बीघा जिसके की भू–प्रबंध के दौरान नये नम्बर कायम नहीं किये गये और पुराने राजस्व खाते के मुकाबले नया खाता कायम नहीं किया गया। विपक्षी को आदेशित दिया [illegible] के प्रार्थी के खातेदारी के पुराने आराजी नं0 31/2 रकबा 10 बीघा [illegible] में दर्ज थी पुराने नक्शे के मुकाबले स्थिति का सीमांकन कर नये नम्बर कायम कर नये नक्शे में उसी अनुसार फीट कर राजस्व खाता प्रार्थी के नाम रेकार्ड में दर्ज करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.07.27 15:41:55 IST
Reason: SelfAttested

2.

सहायक कलेक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाड़ा

Scanned with CamScanner

प्रकरण संख्या :—02/2018 (2018/00188)
प्रा.प. अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दिनांक 16.12.2006 को विधिवत दर्ज किया जाकर विपक्षी को नोटिस जारी किया गया जिसकी पालना में विपक्षी को मौका जांच रिपोर्ट एवं जवाब हेतु निर्देशित किया गया विपक्षी द्वारा नियमित सुनाई के बाद जवाब पेश किया गया एवं बहस उभयपक्ष सुनी जाकर न्यायालय द्वारा विचरण किया कि प्रार्थी की प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि ग्राम दियास की आराजी नं0 31/2 रकबा 10 बीघा खाता संख्या 191 संवत् 2043 से 2046 में प्रार्थी के नाम गैर खातेदारी हक से दर्ज रेकार्ड थी। जिसका भू–प्रबंध के पश्चात् नवीन रेकार्ड में कंही अंकन होना नहीं पाया गया है। जिसका कारण विपक्षी द्वारा अपने जवाब में बताया कि दौराने भू–प्रबंध प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पर वर्णित भूमि का कब्जा नहीं था जिससे प्रार्थी की भूमि का नवीन सेटलमेन्ट के दौरान नवीन नम्बर कायम नहीं किया गया है। पूरे प्रकरण में प्रार्थी सिद्ध नहीं कर सका कि उसके साबिक आराजी नं0 31/2 के नये नम्बर क्या बने हैं जबकि विपक्षी के द्वारा उक्त भूमि को तालाब की पाल के पास व पाल में शामिल होना बताया जो जल संग्रहण क्षेत्र है ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट का स्वीकार योग्य नहीं होने से न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 23.02.2010 को खारीज किया गया।

उक्तानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारीज किये जाने पर प्रार्थी ने अपील सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी गंगापुर के निर्णय दिनांक 23.02.2010 प्रकरण संख्या 70/2006 की अप्रसन्नता से धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत माननीय न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, अजमेर में प्रस्तुत की जिस पर माननीय न्यायालय में अपील संख्या 48/2010/एलआरएक्ट/भीलवाड़ा से दर्ज की जाकर नियमित सुनवाई के बाद दिनांक 27.02.2017 को निर्णय पारित करते हुए माननीय न्यायालय द्वारा विचरित किया कि जंहा तक साबिक खसरा नं0 31/2 के नये खसरा नंबर क्या बने है तथा अपीलांट को आवंटित भूमि पर अपीलांट का यदि कब्जा काश्त नहीं है तथा आवंटन शर्तो की पालना के अभाव में आवंटित भूमि का नियमानुसार आवंटन निरस्त कराने की अबतक कार्यवाही क्यों नहीं की गई के संबंध में राजस्व रेकार्ड के आधार पर उक्त तथ्यों की वस्तुस्थिति की वैधानिक रूप से पुष्टि लेण्ड होल्डर तहसीलदार द्वारा की जा सकती है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय को वस्तुस्थिति की तथ्यात्मक रिपोर्ट मय आधार अभिलेख के संबंधित तहसीलदार से प्राप्त कर प्रार्थना पत्र के संदर्भ में न्यायोचित निर्णय पारित करना चाहिये था। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्यों पर गौर किये बिना अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जिसमें विधिक व तथ्यात्मक दोष निहित होने से अपास्त किया जाकर प्रकरण प्रेतिप्रेषित कर क्रियात्मक आदेश दिया कि उपरोक्त विवेचन अनुसार अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील संख्या 48/2010 बउनवान अकबर मोहम्मद बनाम राज्य सरकार जरिये तहसीलदार सहाड़ा आंशिक रूप से स्वीकार की जाकार अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गंगापुर जिला भीलवाड़ा द्वारा प्रकरण संख्या 70/2006 बउनवान अकबर मोहम्मद बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 23.02.2010 को अपास्त कर इस आशय के साथा प्रेतिप्रेषित किया कि नि[illegible]ल्लिखित तथ्यों के परिपेक्ष्य में तहसीलदार सहाड़ा जिला भीलवाड़ा से [illegible] संबंध में वस्तुस्थिति की रिपोर्ट मय वांछित आधार अभिलेख, राजस्व [illegible] नक्शा आदि से

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.07.27 15:41:55 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाड़ा

Scanned with CamScanner

मिलान कर रकबा बरारी करते हुए विवादित खसरा नंबर 31/2 का नवीन सेटलमेंट में बने नये नम्बरों को कायम करने करते हुए पुराने नम्बर के मुताबिक नक्शें में नये कायम किये जाने वाले नम्बरों का सीमांकन कर नए नक्शें में उसी अनुरूप फिट किये जावें तथा यदि अपीलांट का प्रश्नगत भूमि पर कब्जाकाश्त नहीं है अथवा आवंटन शर्तो की पालना नही तो नियमानुसार आवंटन निरस्त कराने की कार्यवाही करें।

उक्तानुसार माननीय न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, अजमेर के निर्णय दिनांक 27.02.2017 की पालना में उक्त प्रकरण न्यायालय हाजा में प्रकरण संख्या 02/2018 (2018/00188) दिनांक 05.01.2018 से बाजदायर किया जाकर उभयपक्ष को सूचित किया गया। उभयपक्ष उपस्थित । तहसीलदार सहाड़ा को माननीय न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, अजमेर के निर्णय के मुताबिक मौका रिपोर्ट हेतु तहरीर जारी की गई। तहसीलदार सहाड़ा द्वारा उक्तानुसार निर्णय की पालना हेतु प्रकरण में मौका एवं जांच रिपोर्ट दिनांक 2.02.2021 को पेश की गई जो इस प्रकार है:–

1. यह कि ग्राम दियास की जमाबंदी संवत् 2043 से 2046 के खाता संख्या 165 में अकबर मोहम्मद पिता बदूजी पीनारा सा0 गंगापुर गैर खातेदार दर्ज रेकार्ड था जिसकी नकल जमाबंदी पत्रावली में संलग्न है। जिसके अनुसार आराजी नं0 31/2 रकबा 10 बीघा भूमि दर्ज रेकार्ड थी।
2. यह कि भू–प्रबंध विभाग द्वारा उक्त खाते को छूटे हुए खाते की भूमि में डाल दिया गया।
3. भू प्रबंध विभाग द्वारा बनाई गई मिशल बन्दोबस्त के अनुसार मिलान क्षैत्रफल में नवीन आराजी नं0 12 रकबा 0.95 हे0, आराजी नं0 14 रकबा 0.62 हे0, आराजी नं0 13 रकबा 0.27 हे0, आराजी नं0 232/1259 रकबा 0.26 हे0, आराजी नं0 231/1260 रकबा 0.24 हे0, आराजी नं0 243 रकबा 0.55 को उक्त पुराना आराजी नं0 31 मी0 से बनना बताया जो बिलानाम दर्ज हैं
4. मौका स्थिति अनुसार आराजी नं0 14 रकबा 0.62 तालाब में स्थित है एवं पानी की आव बनी हुई है। आराजी नं0 13 रकबा 0.27 तालाब की पाल है। आराजी नं0 12 रकबा 0.95 रास्त के पास पड़त पड़ी हुई है। आराजी नं0 243 रकबा 0.55 गै0मु0 रास्ता है जिसमें गेवल सड़क निकली हुई है। आराजी नं0 231/1260 रास्ते से सटी हुई पट्टी है। आराजी नं0 232/1259 रकबा 0.26 [illegible] सटी हुई पट्टी है।
5. यह कि गत आराजी नं0 31/2 को नवीन नक्शे में मिलान नकल अनुसार बने नवीन आराजी नं0 में लाल स्याही से दर्शाया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.07.27 15:41:55 IST
Reason: SelfAttested

4.

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाड़ा

Scanned with CamScanner

प्रकरण संख्या :–02/2018 (2018/00188)
प्रा.प. अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट

प्रार्थीगण के अधिवक्ता एवं पेरोकार सरकार को मजमें आम में सुना गया। प्रार्थी के अधिवक्ता ने दौराने बहस प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं प्रार्थी ने अपने प्रार्थनापत्र के समर्थन में राजस्व रेकार्ड पेश किया साथ ही पेरोकार सरकार की बहस एवं मौका पर्चा तथा राजस्व रेकार्ड से जांच रिपोर्ट का भी अवलोकन किया मौका स्थिति अनुसार आराजी नं0 14 रकबा 0.62 तालाब में स्थित है एवं पानी की आव बनी हुई है। आराजी नं0 13 रकबा 0.27 तालाब की पाल है। उक्त दोनों आराजी एवं रकबे को छोड़ते हुए शेष आराजी नं0 12 रकबा 0.95 हे0, आराजी नं0 243 रकबा 0.55 हे0 , आराजी नं0 231/1260 रकबा 0.24 हे0, आराजी नं0 232/1259 रकबा 0.26 हे0 कुल किता 04 कुल रकबा 2.00 हे0 प्रार्थीगण के नाम पर खातेदारी हक से राजस्व रेकार्ड में दर्ज किया जाना यह न्यायालय उचित समझत्ता है अतएवः–

:: आदेश ::

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 136 आर.टी.एक्ट का स्वीकार किया जाता है। राजस्व ग्राम दियास तहसील सहाडा जिला भीलवाड़ा में स्थित आराजी नं0 14 रकबा 0.62 तालाब में स्थित है एवं पानी की आव बनी हुई है। आराजी नं0 13 रकबा 0.27 तालाब की पाल है। उक्त दोनों आराजी एवं रकबे को छोड़ते हुए शेष आराजी नं0 12 रकबा 0.95 हे0, आराजी नं0 243 रकबा 0.55 हे0 , आराजी नं0 231/1260 रकबा 0.24 हे0, आराजी नं0 232/1259 रकबा 0.26 हे0 कुल किता 04 कुल रकबा 2.00 हे0 भूमि को प्रार्थीगण के नाम खातेदारी से राजस्व रेकार्ड में दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 29.06.2021 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया । पालनार्थ तहसीलदार सहाड़ा मुकाम गंगापुर को लिखा जावे । पत्रावली बाद दाखला रजिस्टर के फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी गंगापुर

सहायक कलेक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.07.27 15:41:55 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner